न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
197 / 2015	04 / 09 / 2015	23.11.15

उनवान

1. हुकमसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी माजरी गुर्जर तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरि0) हाल आबाद गूजरीवास तहसील कोटकासिम (अलवर)

:– प्रार्थी / वादी

बनाम

1. रामप्रकाश
2. लायकराम
3. बदलूराम पुत्रान
4. बुद्धि पत्नी रामपत गुर्जर निवासी गूजरीवास तहसील कोटकासिम
5. रामसिंह पुत्र बुधसिंह जाति गुर्जर ग्राम हसनपुर तह.मानेसर जिला गुडगावा(हरि0)
6. उप–पंजियक अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर
7. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– असल अप्रार्थीगण / असल प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाईदवामी,
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–

1. श्री समयसिंह यादव अधि0प्रार्थी
2. श्री

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात से वादी/प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 348 रकबा 0.57, 352 रकबा 0.25, 294 रकबा 0.32 हैक्ट0 354 रकबा 0.11, 356 रकबा 0.27, 380 रकबा 0.77, 398 रकबा 1.13, 536 रकबा 0.71 किता 8 कुल रकबा 4.1300 हैक्टेयर ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम में स्थित है। जिसमें वादी व तर0 प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 का शामलाती हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सामलात काश्त खातेदारी की आराजी है। सामलात में ही सदैव से अपने हिस्सेनुसार जोतते–बोते चले आ रहे है। जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण असल आये रोज मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रातिवादीगण के शामलाती हिससे के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है। दिनांक 27.08.2015 को असल प्रतिवादीगण ने ऐलानिया तौर पर आराजी को तकसीम कराने से इंकार कर दिया बिना बंटवारा कराये बेचान करने वो सामलात में जोतने–बोने में बाधा पैदा करने की धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण असल अपने इस नापाक दरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादी व तर. प्रतिवादी0 को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। सुविधा का संतुलन बहक वादी व तर0 प्रतिवादीगण है। इसलिए अधिकारों की रक्षार्थ जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से असल प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाइ चन्दरोजा से इस अमर से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 348 रकबा 0.57, 352 रकबा 0.25, 294 रकबा 0.32 हैक्ट0, 354 रकबा 0.11, 356 रकबा 0.27, 380 रकबा 0.77, 398 रकबा 1.13, 536 रकबा 0.71 ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम के सामलाती कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में वादी व तर0 प्रतिवादीगण मजामहत व मदालखत पैदा ना करे, ना ही सामलात में आराजी को जोतने व बोने तथा दरों करने में रूकावट पैदा करे, ना ही बिना तकसीम कराये रहन बय इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। ना निर्माण कार्य करे। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। ना ही प्रतिवादी संख्या 6 विवादित आराजी बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेज पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र की नकल अप्रार्थीगण को जर्ये वकील दी गई।

अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी ने तथ्यों का छुपा कर वाद प्रस्तुत किया है जिसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है प्रार्थी का कामयाबी की कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिये।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी/प्रार्थी के दस्तावेज शपथपत्र व वादपत्र से किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला केस आयद वो साबित नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 का विवादित आराजी में 2/3 हक हिस्सा है। जिस पर वह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर वास्तविक कब्जा है व प्रार्थी/वादी का विवादित आराजी में 1/42 हिस्सा है जो करीब 0.09 ऐयर आराजी है वादी ने अपने सम्पूर्ण वाद में यह कहीं भी कथन नहीं किया कि वो उक्त रकबे पर किस ख0 नं0 पर काबिज है अथवा कौन–कौन से ख0नं0 उसके कब्जे काश्त में है। दरअसल हकीकत यह है कि वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण एक ही थाली के चट्टे–बट्टे है। जिनका एकमात्र मकसद प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को परेशान करना है। जिसकी गर्ज से उक्त वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 अपने हक हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर किसी प्रकार का तनाजा नहीं है। वादी का वाद झूंठ का पुलिन्दा है उक्त वाद से पूर्व में भी तर0 प्रतिवादीगण द्वारा वादी से मिल्लत कर वाद तकासमा के प्रस्तुत कर चुके है। जिनका एकमात्र मकसद प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को परेशान करना है। वादी शुद्धहस्त होकर न्यायालय के समक्ष नहीं आया है वाद वादी काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। वादी व तर0 प्रतिवादीगण समस्त असल प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 से दिली रंजिश रखते है व बेजा तौर पर तंग वो परेशान करना चाहते है। जिस कारण उक्त वाद पेश किया है। इससे पूर्व में भी कई वाद तर0 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये है। जिनका एकमात्र मकसद प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को परेशान करना है मौके पर असल प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है वादी ने कभी भी आराजी को तकसीम कराने हेतु नहीं कहा। दिनांक 27.08.2015 को विवादित आराजी में मौके पर फसल खड़ी थी। ऐसी सूरत में आराजी को तकसीम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो प्रथम दृष्टया मामला साबित करता है कि वादी झूंठा कथन कर रहा है। दिनांक 27.08.2015 को मौके पर फसल खड़ी थी ऐसी सूरत में वादी जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण असल को पाबंद कराने का अधिकारी है। दिनांक 27.08.2015 को कोई किसी भी प्रकार का सम्पर्क वादी एवं असल प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ। ना ही आराजी को तकसीम कराने बाबत कहा। समस्त कहानी वादी की स्वयं की सोची–समझी कहानी है। जिसका वास्तविकता से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से बहक प्रार्थी नहीं हैं प्रार्थनापत्र काबिल योग्य है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी किसी भी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ना ही अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद कराने का अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी का तकासमा का वाद विचाराधीन है। बंटवारा ना हो तब तक पूर्व का स्थगन आदेश ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण 2/3 भाग के कोशेयरर है। प्रार्थी व तर0 प्रतिवादीगण 1/3 भाग के कोशेयरर है। स्थगन प्रार्थनापत्र में प्रार्थी अपने हिस्से तक स्थगन प्राप्त कर सकता है। सम्पूर्ण आराजी पर नहीं। अब से पूर्व भी प्रार्थी कई दावे कर चुका है। सभी में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से को एग्रीमेन्ट किया है। इससे प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि मिन अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पास है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजात व साक्ष्य पर गौर किया गया। उभय पक्षकारान विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक 27.08.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर मजामहत व मदालखत किये जाने संबंधी तथ्य पर मेरा मानना है कि यह समय जोतने व बोने का नहीं होता। बल्कि इस समय इस क्षेत्र में फसल खड़ी होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का साबित नहीं होता है। सहखातेदारान का विवादित भूमि में प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाता है। इसलिये सह खातेदारान के विरूद्ध न्यायिक दृष्टि से स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दीवानी बाबत आराजी ख0 नं0 हाल ख0 नं0 348 रकबा 0.57, 352 रकबा 0.25, 294 रकबा 0.32 हैक्ट0 354 रकबा 0.11, 356 रकबा 0.27, 380 रकबा 0.77, 398 रकबा 1.13, 536 रकबा 0.71 ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner